सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार , अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के सभी शासन उपसचिव एवं उपायुक्त, मुख्य लेखाधिकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त (द्वितीय) को नोडल अधिकारी तथा सभी जिला रसद अधिकारियों को अपने-जिलों के लिए राज्य जन सूचना अधिकारी और सभी उपखण्ड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के संबंध में राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी तथा खाद्य आयुक्त को प्रथम अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अनु0 (बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर विभागीय मैन्यूअल प्रकाशित किया जा चुका है। इस मैन्यूअल की प्रति विभाग मुख्यालय पर सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इसकी प्रति सभी जिला रसद अधिकारियों और उपखण्ड अधिकारियों के कार्यालयों को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ विभागीय पत्र दिनांक 13.10.2005 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना-पत्रों का निर्धारित अवधि में अथवा इससे पूर्व निस्तारण किया जाता है।